न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 08/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 27.01.2026 निर्णय दिनांक : 29.05.2026

1. बुद्धा पुत्र छीता उर्फ छीतरराम, जाति गुर्जर, निवासी टोडियाकाबास, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. मोहरसिंह पुत्र हजारीलाल
3. प्रतापसिंह पुत्र हजारीलाल
4. विक्रम पुत्र हजारीलाल
5. चिडिया पत्नी हजारीलाल
6. अमीचन्द पुत्र दीनदयाल
7. दयाराम पुत्र दीनाराम
8. दुलीचन्द पुत्र हरिराम
9. धोलाराम पुत्र दीनदयाल
10. प्रकाश पुत्र दीनदयाल
11. राजेन्द्र पुत्र हरिराम
12. सरवण पत्नी हरिराम
13. रामसिंह पुत्र मांगूराम
14. बलबीर पुत्र मांगूराम
15. घनश्याम पुत्र मांगूराम

समस्त जातियान अहीर, निवासी टोडियाकाबास, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुबेसिंह यादव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री योगेश्वर प्रकाश अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी मोहरसिंह वगै0 बनाम अशोक कुमार वगै0, मुकदमा संख्या 01/2026, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहत न्यायालय से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।
3. वकील उभयपक्षकारान को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी मोहरसिंह वगैरह बनाम अशोक कुमार वगैरह, मुकदमा संख्या 01/2026, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर में विचाराधीन है। प्रार्थीगण भूमाफिया है, संख्याबल बहुबल एवं धनबल युक्त व्यक्ति हैं तथा खुले रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि उनकी उपखण्ड अधिकारी, बानसूर से बात हो चुकी है और निर्णय उनके पक्ष में होगा, जिससे मिन अप्रार्थी को यह आभास हुआ है कि उसे उक्त न्यायालय से निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं होगा। वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 510/1.38 हैक्टेयर, मौजा टोडियाकाबास, तहसील बानसूर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

में स्थित है, जहाँ आने–जाने हेतु पूर्व से ही सीसी रोड का मार्ग उपलब्ध है और वे उसी का उपयोग करते हैं, फिर भी वे मिन अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 497, 503, 505, 506 एवं 508, मौजा टोडियाकाबास, तहसील बानसूर के बीच से नया रास्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके पास पहले से मार्ग उपलब्ध होने के कारण ऐसा किया जाना न्यायसंगत नहीं है। मिन अप्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों से उपखण्ड अधिकारी, बानसूर को अवगत कराने के बावजूद प्रार्थीगण की घोषणाओं एवं परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई को लेकर गंभीर आशंका उत्पन्न हो गई है। न्याय के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार न केवल न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए।

अंत में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर में विचाराधीन प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी मोहरसिंह वगैरह बनाम अशोक कुमार वगैरह, मुकदमा संख्या 01/2026, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर से स्थानान्तरित कर किसी अन्य सक्षम न्यायालय/पीठासीन अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

5. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने के उद्देश्य से न्यायालय हाजा में गलत तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। उक्त प्रकरण के अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज होने के एक महीने में अन्दर ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है तथा तहत न्यायालय के प्रकरण से संबंधित खसरा नम्बरों पर स्टे लेने के उद्देश्य से एक वाद भी दायर किया गया है जो यह साबित करता है कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने के उद्देश्य से न्यायालय हाजा में गलत तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

6. उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/354 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढंत है, इसलिए अस्वीकार है। प्रकरण निस्तारण हेतु विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पत्रावली वर्तमान में अप्रार्थीगण की तलबी में नियत है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहत न्यायालय की बिन्दुवार टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अप्रार्थीगण की तलबी हेतु लम्बित है तथा प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट भी अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे पक्षपात अथवा दुर्भावना का संकेत प्राप्त होता हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा लगाए गये आरोप केवल कथन मात्र हैं, जिनके समर्थन में कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मात्र आशंका एवं अनुमान पर आधारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
जिला कलक्टर,
कोटपूतली-बहरोड़